I.I.F.-I (एकीकृत अन्‍ वेषणफॉर्म - १)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम खबर अहवाल
(फौजदारी प्रक्रिया संहिताच्या कलम १५४ अन्वये)

1. **District (जिल्हा):** नागपुर रेल्‍वे **P.S. (पोलीस ठाणे):** नागपूर **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्रथम खबर क्र.): 0471 **Date and Time of FIR (प्र. ख. दिनांक आणि वेळ):** 05/07/2022 11:44 वाजता

2.

S.No. (अ.क्र.)	Acts (अधिनियम)	Sections (कलम)
1	गुंगीकारक औषधीद्‍ रव्‍य आणि मनोव्‍ यापारावर परिणाम करणारे प्रदार्थ अधिनियम, १९८५	20 (b) (ii)
2	गुंगीकारक औषधीद्‍ रव्‍य आणि मनोव्‍ यापारावर परिणाम करणारे प्रदार्थ अधिनियम, १९८५	29

3. (a) **Occurrence of offence(गुन्हयाची घटना):**

1 **Day (दिवस):** सोमवार **Date from (दिनांक पासून):** 04/07/2022 **Date To (दिनांक पर्यंत):** 04/07/2022

Time Period (कालावधी): प्रहर ५ **Time From (वेळेपासून):** 14:45 तास **Time To (वेळेपर्यंत):** 14:56 तास

(b) **Information received at P.S. (पोलीस ठाण्यावर माहिती मिळाल्याचा):** **Date (दिनांक):** 05/07/2022 **Time (वेळ):** 11:17 तास

(c) **General Diary Reference (ठाणे दैनंदिनी संदर्भ):** **Entry No. (नोंद क्र.):** 016 **Date and Time (दिनांक आणि वेळ):** 05/07/2022 11:17 तास

4. **Type of Information (माहितीचा प्रकार):** लेखी

5. **Place of Occurrence (घटनास्थळ):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (पोलिस ठाण्या पासून दिशा आणि अंतर):** पूर्व, 1 कि.मी. **Beat No. (बीट क्र.):**

(b) Address (पत्ता): रे स्टे नागपुर प्लेटफार्म 01 , चे इटारसी एंड कडील रामझुला , ब्रीज जवळील लोको पायलट पर्सनल,स्टोर विवरण कक्ष चे समोर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (पोलीस ठाण्याच्या हद्‍दी बाहेर असल्यास, पोलीस ठाण्याचे नाव):

District (State) (जिल्हा (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (तक्रारदार / माहिती देणारा):**

(a) **Name (नाव):** सरकार तर्फे सहा. उपनिरीक्षक रत्नाकर खाडे

(b) **Father's/Husband's Name (वडिलांचे/पतीचे नाव):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्मतारीख / वर्ष):** 1971 **(d) Nationality (राष्‍ट्रीयत्‍व):**भारत

(e) **UID No. (यु.आय.डी. क्र.):**

(f) **Passport No. (पारपत्र क्र.):**

Date of Issue (दिल्याची तारीख): **Place of Issue (दिल्याचे ठिकाण):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (ओळखपत्र विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (अ.क्र.)	ID Type (ओळखपत्राचा प्रकार)	ID Number (ओळखपत्र क्रमांक)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पत्ता):**

S.No. (अ.क्र.)	Address Type (पत्ता प्रकार)	Address (पत्ता)::
1	वर्तमान पता	प्लट नं 83 शशिकांत हाउसिंग , सोसायटी हजारीपहाड, नागपुर, नागपुर शहर, महाराष्ट्र, भारत
2	स्थायी पता	प्लट नं 83 शशिकांत हाउसिंग , सोसायटी हजारीपहाड, नागपुर, नागपुर शहर, महाराष्ट्र, भारत

(j) **Phone number (फोन नं.):** **Mobile (मोबाइल क्र.):** 0

7.

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषणफॉर्म - १)

Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संशयित / अज्ञात आरोपींचे संपूर्ण तपशील):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एका पेक्षा जास्त असतील तर संख्या): 0

S. No. (अ.क्र.)	Name (नाव)	Alias (उर्फनाव)	Relative's Name (नातेवाईकाचे नाव)	Present Address(वर्तमान (पत्ता))
1	पुजा संजय कुशवाह			1. मादिपुरा गल्ली नंबर 08,विजय नगर गाजियाबाद,Town/Village (शहर / गाव): उत्तरप्रदेश,Tehsil (तहसील): Police Station (पोलीस ठाणे): District (जिल्हा): गाजियाबाद,State (राज्य): उत्तर प्रदेश,भारत
2	सुरजपाल धरमवीर सिंह			1. ऊंचा गाँव सुबेदार कलनी,रूम नंबर 52/3,तहसील-बल्लबग, Town/Village (शहर / गाव): फरीदाबाद उत्तरप्रदेश,Tehsil (तहसील): Police Station (पोलीस ठाणे): District (जिल्हा): आगरा,State (राज्य): उत्तर प्रदेश,भारत
3	सोनुकुमार मुकेश जाटव			1. बिहारीपुरा गाजियाबाद,Town/Village (शहर / गाव): उत्तरप्रदेश,Tehsil (तहसील): Police Station (पोलीस ठाणे): District (जिल्हा): गाजियाबाद,State (राज्य): उत्तर प्रदेश,भारत

4	रामदत्त श्रीकिशन जाटव			1. मादिपुरा गल्ली नंबर 08,विजय नगर गाजियाबाद,Town/Village (शहर / गाव): उत्तरप्रदेश,Tehsil (तहसील): Police Station (पोलीस ठाणे): District (जिल्हा): गाजियाबाद,State (राज्य): उत्तर प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (तक्रारदार/माहिती देणा-याकडून तक्रार करण्यातील विलंबाची कारणे):**

फिर्यादी ने आज रोजी फिर्याद दिले वरुन

9. **Particulars of properties of interest (संबंधीत मालमत्तेचा तपशील):**

S. No. (अ.क्र.)	Propertty Category (मालमत्ता वर्ग)	Property Type (मालमत्ता प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) मुल्य (रु. मध्ये)
1	औषध/अमलीपदार्थ	गांजा	2 बंडल गांजा वजन 10.270 किलो ग्राम	1,54,050.00
2	औषध/अमलीपदार्थ	गांजा	6 बंडल गांजा वजन 11.649 किलो ग्राम	1,74,735.00
3	औषध/अमलीपदार्थ	गांजा	2 बंडल गांजा वजन 10.252 किलो ग्राम	1,53,780.00
4	औषध/अमलीपदार्थ	गांजा	1 बंडल गांजा वजन 5.256किलो ग्राम	78,840.00
5	औषध/अमलीपदार्थ	गांजा	2 बंडल गांजा वजन 10.261किलो ग्राम	1,53,915.00
6	इतर	घरगुती वस्तु	एक सिल्वर रंगाची ट्रॉली बग त्यावर HONOUR लिहीलेले	1,000.00
7	इतर	घरगुती वस्तु	एक नेवी ब्लू रंगाची ट्रॉली बग त्यावर Zexon लिहीलेले	1,000.00

8	इतर	घरगुती वस् ुत	एक काळ्या रंगाची पिठठ् बॅंग बग त्यावर FUEL लिहीलेले	1,000.00
9	इतर	घरगुती वस् ुत	एक काळ्या रंगाची पिठठ् बॅंग बग त्यावर adibos लिहीलेले	500.00
10	इतर	घरगुती वस् ुत	एक काळ्या रंगाची पिठ्ठु बॅंग बग त्यावर TYCOON लिहीलेले	500.00

10. Total value of property (In Rs/-) मालमत्तेचे एकूण मुल्य (रु. मध्ये) : 7,19,320.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मरणान्वेषण अहवाल/अकस्मात मृत्यू प्रकरण क्र. जर असल्यास):

S. No. (अ.क्र.)	**UIDB Number (यु.आय.डी.बी.)**

12. First Information contents (प्रथम खबर हकिगत):

फिर्यादीची फिर्याद पाहता खालीलप्रमाणे---
फरियाद

रत्नाकर खाड़े S/O श्री दत्तूजी खाड़े, उम्र-51वर्ष, व्यवसाय- सहायक उपनिरीक्षक, आरपीएफ थाना, नागपुर, निवासी 83 शशिकांत हाउसिंग सोसायटी हजारी पहाड़ नागपुर 440013

दि. 4/7/2022 को मै रत्नाकर खाड़े सरकार तर्फे लिखित फिर्याद देता हूँ की, आरक्षक राजु मीना साथ मे आरक्षक नवीन कुमार की ड्यूटि अपराध की रोकथाम हेतु लगाई गयी थी जिस संदर्भ मे ट्रेन नंबर 20805 विशाखापटनम- नई दिल्ली एक्सप्रेस मे बल्लारशाह से नागपुर तक चेकिंग दौरान समय करीबन 14/45 बजे खापरी रेल्वे स्टेशन के बाद S-4 कोच मे चार व्यक्ति जिसमे एक महिला एवं तीन पुरुष जिनके ताबे मे पाये गए पाँच बैगों के साथ संदिग्ध हालत मे घूमते दिखाई देनेपर तथा उनके बैगों मे से गाँजा जैसी गंध आने पर उक्त घटना की सूचना निरीक्षक नागपुर को तथा DSCR/NGP को दी बाद निरीक्षक नागपुर श्री आर एल मीना साहब द्वारा एक टीम गठित किया जिसमे आरपीएफ पोस्ट नागपुर के उपनिरीक्षक विजयपाल सिंह, सहायक उपनिरीक्षक रत्नाकर खाड़े, आरक्षक नवीन कुमार, राजु मीना तथा CIB/NGP के स्टाफ प्रधान आरक्षक मुकेश राठोड, आरक्षक सागर लाखे एवं GRP/NGP के 296 ASI झुरमुरे तथा WPN 779 भलावी की मदद से उक्त ट्रेन रेल्वे स्टेशन नागपुर के प्लेटफार्म नंबर 01 पर समय 14/56 बजे आगमन पर उक्त टीम द्वारा ट्रेन नंबर 20805 विशाखापटनम- नई दिल्ली एक्सप्रेस को संयुक्त रूप से चेक करने पर S-4 कोच Eco 217894 मे चार व्यक्ति जिसमे एक महिला एवं तीन पुरुष जिनके ताबे मे पाये गए पाँच बैगों मे से गांजा जैसी गंध आ रही थी ।उक्त टीम द्वारा ट्रेन नं.

20805 विशाखापटनम - नई दिल्ली एक्सप्रेस से उतारे गए उक्त तीन व्यक्तियों तथा उनके पास मिले बैग, जिनमे गांजा जैसा मादक पदार्थ होने की संम्भावना की वजह से अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निरीक्षक महोदय द्वारा मुझ सहायक उप निरीक्षक रत्नाकर खाड़े तैनात आरपीएफ़ थाना नागपुर को निर्देश दिया है । उक्त मामले मे एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करने की अनुमति वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ नागपुर से प्राप्त कर ली है । एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही करने करने के लिए बतौर राजपत्रित अधिकारी श्री कोटा जोजी, सहायक सुरक्षा आयुक्त, आरपीएफ नागपुर, वजन करने के लिए MPS स्टाल, रेलवे स्टेशन नागपुर के मैनेजर श्री दादाराव रमेशचंद्र तायडे, दो पंच1)अर्चना w/o शशिकांत लोखंडे, उम्र- 49 वर्ष, पदनाम- HdTE, तैनाती :D/CTI ऑफिस, प्लेटफार्म नं.01 नागपुर रेल्वे स्टेशन, नागपुर, मो. नं. 9579275422 पंच-02) मोहम्मद हसन शेख गफुर, उम्र- 39 वर्ष, निवासी- अंसारीनगर मोमिनपुरा, नागपूर, मो. नं. 7796092509, तथा सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान फोटोग्राफी करने के लिए आरक्षक कपिश मान प्लेटफार्म 01 के इटारसी छोर पर स्थित रामझुला ब्रीज और FOB के मध्य स्थित FSD एवं लोको पायलट पर्सनल स्टोर विवरण कक्ष के सामने उपस्थित हुए । बाद मैंने उपरोक्त सबका आपस मे परिचय कराया तथा जहां पर हमने देखा की वहा पर चार व्यक्ति जिसमे एक महिला एवं तीन पुरुष बैठे हुए है तथा उनके पास कुल पाँच बैग रखे है । उक्त व्यक्ति तथा बैग की निगरानी के लिए दो आरपीएफ स्टाफ वर्दी में तैनात है । मुझ सहायक उपनिरीक्षक ने उक्त ट्रेन से उतारे गए एक महिला एवं तीन पुरुष को हम सबका परिचय दिया तथा बताया की चूंकि आपने बताया है की आपके बैग मे गाँजा है इसलिए एनडीपीएस एक्ट के तहत आपकी तथा आपके बैग की तलाशी लेनी है तथा गाँजा मिलने पर एनडीपीएस के तहत अग्रिम कार्यवाही करनी है तथा लिखित सूचना पत्र देते हुए उक्त व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50(1) के अधिकार के बारे मे सूचित किया तथा बताया की ऐसी तलाशी के दौरान यदि वे उपस्थित राजपत्रित अधिकारी की बजाय किसी दूसरे राजपत्रित अधिकारी को बुलाना चाहते है तो ऐसी व्यवस्था की जा सकती है । इस पर उक्त व्यक्तियों के द्वारा सहमति पत्र जारी कर बताया गया की वे उपस्थित राजपत्रित अधिकारी के समक्ष तलाशी देने को तैयार है । बाद उक्त व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उन्होने अपना नाम क्रमश 1) पुजा w/o संजय कुशवाह, उम्र:20 वर्ष, निवासी: मादिपुरा गल्ली नंबर 08 विजय नगर गाजियाबाद उत्तरप्रदेश 2) सुरजपाल s/o धरमवीर सिंह, उम्र: 34 वर्ष, निवासी: ऊंचा गाँव सुबेदार कॉलनी रूम नंबर 52/3 तहसील-बल्लबगढ़ फरीदाबाद उत्तरप्रदेश, 3) सोनुकुमार s/o मुकेश जाटव, उम्र:31 वर्ष, निवासी: बिहारीपुरा गाजियाबाद उ. प्र. 4) रामदत्त s/o श्रीकिशन जाटव, उम्र-40 वर्ष, निवासी: मादिपुरा गल्ली नंबर 08 विजय नगर गाजियाबाद उत्तरप्रदेश बताया तथा बताया कि वह ट्रेन नं. 20805 विशाखापटनम- नई दिल्ली एक्सप्रेस से विशाखापटनम से नई दिल्ली जा रहे है, उनके पास मिले बैगो के बारे मे पूछने पर उक्त व्यक्तियो ने विशाखापटनम से नई दिल्ली S-4 कोच मे यात्रा करते समय दो आरपीएफ स्टाफ ने उनसे पूछताछ करने पर उक्त एक महिला एवं तीन पुरुष द्वारा उक्त बैगों मे गाँजा लेकर जाने की बात कबूलने पर उन्हे बैग के साथ ट्रेन से नीचे उतारकर यहाँ बैठा दिया है । उनके पास मिले बैगो के बारे मे पूछने पर उक्त व्यक्तियो ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, लेकिन गहनता से पूछताछ करने पर उन्होने बताया कि उनके पास मौजूद पाँच बैगो मे गाँजा है । उक्त व्यक्तियों की तलाशी लेने पर 1) पुजा w/o संजय

कुशवाह के ताबे से एक सिल्वर रंग की छोटी ट्रॉली बैग जिसपर HONOUR लिखा हुआ है मिला , ट्रॉली बैग को खोलकर देखने पर उसमे दो बंडल जिसको खाकी टेप चिपकाया मिला, जिसमें से गाँजा जैसी गंध आ रही थी, जिसके बारे में पुजा w/o संजय कुशवाह से पूछताछ किया तो उसने बताया कि इस दो बण्डल में गाँजा है । इस बैग को A नाम दिया गया, बैग की कीमत 1000/- रुपये आकी गयी । बैग का गाँजा के साथ कुल वजन 12.726 Kg पाया गया बाद बैग के अंदर खाकी रंग के सेलो टेप से लपेटे हुए बंडल को A- 1, A- 2 नाम दिया गया बाद उक्त बंडल का वजन किया गया तथा इस बंडल से 24-24 ग्राम के दो सैंपल निकाले गए तथा वजन के मुताबिक उसकी अनुमानित किंमत लगाई गयी जिसका विवरण Annexure A के अनुसार निम्न प्रकार है –

Annexure A:- बैग के साथ गाँजा का वजन 12.726 kg

बंडल का नाम गाँजा का वजन (kg) बंडल से लिए गए 24-24 ग्राम के सैंपल, गाँजा की कीमत, 15000/- प्रति kg की दर से, सैंपल-1 सैंपल-2,पहला बंडल

A-1, 5.123,S-1,P-1,76,845/-,दुसरा बंडल,A-2,5.147,S-2,P-2,77,205/-,कुल वजन 10.270/- कुल कीमत 1,54,050/-

2) सुरजपाल s/o धरमवीर सिंह के ताबे से Teal रंग ट्रॉली बैग जिसपर Zexon लिखा हुआ है मिला, जिसको खोलकर देखने पर उसमे सहा खाकी टेप मे लिपटे हुए बंडल मिले, जिसमें से गाँजा जैसी गंध आ रही थी, जिसके बारे में सुरजपाल s/o धरमवीर सिंह से पूछताछ किया तो उसने बताया कि इन सहा बण्डल में गाँजा है । इस ट्रॉली बैग को B नाम दिया गया, बैग की कीमत 1000/- रुपये आकी गयी । बैग का गाँजा के साथ कुल वजन 14.978 Kg पाया गया बाद बैग के अंदर खाकी रंग के सेलो टेप से लपेटे हुए छह बंडल को B-1, B-2, B-3, B-4, B-5, B-6 नाम दिया गया बाद उक्त छह बंडलों का वजन किया गया तथा प्रत्येक बंडल से 24-24 ग्राम के दो सैंपल निकाले गए तथा वजन के मुताबिक उसकी अनुमानित किंमत लगाई गयी जिसका विवरण Annexure B के अनुसार निम्न प्रकार है –

Annexure B:- बैग के साथ गाँजा का वजन 14.978 kg बंडल का नाम गाँजा का वजन (kg)बंडल से लिए गए सैंपल गाँजा की कीमत15000/- प्रति kg की दर से सैंपल-1, सैंपल-2,पहला बंडल, B-1 2.035,S-3, P-3, 30,525/-दूसरा बंडल,B-2, 1.959, S-4,P-4,29,385/-,तीसरा बंडल,B-3,1.940,S-5,P-5,29,100/-,चौथा बंडल-B-4,1.968,S-6,P-6,29,520/-रु.,पाचवा बंडल - B-5,1.931,S-7,P-7,28,965/-,छटा बंडल-B-6,1.816,S-8,P-8,27,240/-,कुल वजन,11.649,कुल कीमत 1,74,735/-

3) सोनुकुमार s/o मुकेश जाटव के ताबे से एक मरून रंग की छोटी बैग जिस पर FUEL लिखा हुआ है, ट्रॉली बैग को खोलकर देखने पर उसमे दो बंडल जिसको खाकी टेप चिपकाया मिला, जिसमें से गाँजा जैसी गंध आ रही थी, जिसके बारे में पुजा से पूछताछ किया तो उसने बताया कि इस बण्डल में गाँजा है । इस बैग को C नाम दिया गया, बैग की कीमत 1000/- रुपये आकी गयी । बैग का गाँजा के साथ कुल वजन 13.004 Kg पाया गया बाद बैग के अंदर खाकी रंग के सेलो टेप से लपेटे हुए बंडल को C- 1, C- 2 नाम दिया गया बाद उक्त बंडल का वजन किया गया तथा इस बंडल से 24-24 ग्राम के दो सैंपल निकाले गए तथा वजन के मुताबिक उसकी अनुमानित किंमत

लगाई गयी जिसका विवरण Annexure C के अनुसार निम्न प्रकार है –

Annexure C: बैग के साथ गाँजा का वजन 13.004 kg बंडल का नाम,गाँजा का वजन (kg),बंडल से लिए गए 24-24 ग्राम के सैंपल,गाँजा की कीमत 15000/- प्रति kg की दर से सैंपल-1, सैंपल-2 पहला बंडल -C-1,5.096,S-09,P-09,76,440/-,दुसरा बंडल,C-2,5.156 S-10,P-10,77,340/-,कुल वजन 10.252,कुल कीमत,1,53,780/-

4) रामदत्त s/o श्रीकिशन जाटव, उम्र-40 वर्ष, निवासी: मादिपुरा गल्ली नंबर 08 विजय नगर गाजियाबाद उत्तरप्रदेश के ताबे से दो बैग मिले जिसमे a)एक काले रंग की पिट्ठू बैग जिसपर adibosलिखा हुआ है मिला , उक्त बैग को खोलकर देखने पर उसमे एक बंडल जिसको खाकी टेप चिपकाया मिला, जिसमें से गाँजा जैसी गंध आ रही थी, जिसके बारे में रामदत्त से पूछताछ किया तो उसने बताया कि इस बण्डल में गाँजा है । इस बैग को D नाम दिया गया, बैग की कीमत 500/- रुपये आकी गयी । बैग का गाँजा के साथ कुल वजन 5.859 Kg पाया गया बाद बैग के अंदर खाकी रंग के सेलो टेप से लपेटे हुए बंडल को D- 1 नाम दिया गया बाद उक्त बंडल का वजन किया गया तथा इस बंडल से 24-24 ग्राम के दो सैंपल निकाले गए तथा वजन के मुताबिक उसकी अनुमानित किंमत लगाई गयी जिसका विवरण Annexure D के अनुसार निम्न प्रकार है –

Annexure D:- बैग के साथ गाँजा का वजन 5.859 kg

बंडल का नाम -गाँजा का वजन (kg) बंडल से लिए गए 24-24 ग्राम के सैंपल गाँजा की कीमत 15000/- प्रति kg की दर से सैंपल-1, सैंपल-2 पहला बंडल- D -1 5.256,S-11, P-11, 78,840/-

कुल वजन 5.859 कुल कीमत 87,885/- तथा b) एक काले रंग की पिट्ठू बैग जिसपर लाल रंग की पट्टी जिसपर TYCOON लिखा हुआ है मिला , उक्त बैग को खोलकर देखने पर उसमे दो बंडल जिसको खाकी टेप चिपकाया मिला, जिसमें से गाँजा जैसी गंध आ रही थी, जिसके बारे में रामदत्त से पूछताछ किया तो उसने बताया कि इस बण्डल में गाँजा है । इस बैग को E नाम दिया गया, बैग की कीमत 500/- रुपये आकी गयी । बैग का गाँजा के साथ कुल वजन 11.254 Kg पाया गया बाद बैग के अंदर खाकी रंग के सेलो टेप से लपेटे हुए बंडल को E -1,E -2 नाम दिया गया बाद उक्त बंडल का वजन किया गया तथा इस बंडल से 24-24 ग्राम के दो सैंपल निकाले गए तथा वजन के मुताबिक उसकी अनुमानित किंमत लगाई गयी जिसका विवरण Annexure E के अनुसार निम्न प्रकार है –

Annexure E:- बैग के साथ गाँजा का वजन 11.254 kg बंडल का नाम गाँजा का वजन (kg) बंडल से लिए गए 24-24 ग्राम के सैंपल गाँजा की कीमत 15000/- प्रति kg की दर से

सैंपल-1 सैंपल-2, पहला बंडल E -1, 5.164, S-12, P-12, 77,460/-,दुसरा बंडल- E -2, 5.097, S-13,P-13,76,455/-कुल वजन 10.261 कुल कीमत 1,53,915/- उपरोक्त 05 बैगो में मिले हुये बैग के साथ गांजा का कुल वजन 57.821 किलोग्राम, सिर्फ गांजा का वजन 47.688 किलोग्रॅम किंमत 7,15,320/- रु. का माल बैग के साथ कुल किमत 7,19,320/- रु. का माल जप्त किया गया । उपरोक्त 05 नग बैगों मे गांजा के साथ और कोई भी चीज जप्ती के दौरान नही पायी गयी । सभी बंडलो पर, सैंपलों पर तथा गाँजा मिले पाचो बैगो पर हम सभी अधोहस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर किए हुए जप्ती लेबल चिपकाकर सीलबंद कर जप्ति कर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक रत्नाकर खाड़े व्दारा जप्त किया गया । उपरोक्त कार्यवाही मे वजन करने के लिए इलेक्ट्रीक वजन मशीन

का प्रयोग किया है और समस्त कार्यवाही की फोटोग्राफी की गई है । उक्त एक महिला एवं तीन पुरुष व्यक्तियो को जप्ती पंचनामा के तहत जप्त मुद्देमाल, जप्ती के सॅम्पल व जप्ती पंचनामा के कार्यवाही हेतु तैयार किये गये दस्तावेज एनडीपीएस एक्ट के तहत अग्रिम कार्यवाही के संबंध ताबे मे लेने हेतु फिरयाद के साथ सादर प्रेषित है ।
नोट :- महिला आरोपी नं. 01 नामे पुजा w/o संजय कुशवाह, उम्र:20 वर्ष, निवासी: मादिपुरा गल्ली नंबर 08 विजय नगर गाजियाबाद उत्तरप्रदेश को दिनांक 04.07.2022 को स्वस्थ परीक्षण हेतु वैधकीय अधिकारी मेयो हास्पिटल नागपुर मे भेजा गया था । जहा स्वस्थ परीक्षण के दरम्यान उक्त महिला आरोपी गर्भवती होने का पता चला बाद उक्त महिला को अस्वस्थ होने के कारण मेयो हास्पिटल मे इलाज हेतु भर्ती किया गया है । अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर आरोपी महिला को पेश किया जाएगा । जप्तीकर्ता रत्नाकर खाड़े सहायक उपनिरीक्षक आरपीएफ थाना नागपुर

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(केलेली कारवाईः बाब क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या कलमान्वये वरील अहवालावरून अपराध दिसून आल्यामुळे):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण नोंदविले आणि तपासाचे काम हाती घेतले): or (किंवा):**

(2) **Directed (Name of I.O.) (तपास अधिका-याचे नाव):** Omprakash Yashvantrao Bhalavi **Rank (हुद्दा):** पोलीस उपनिरीक्षक

No. (क्र.): 15101000402OYBM8401V **to take up the Investigation (तपास करण्याचे अधिकार दिले) or (किंवा)**

(3) **Refused investigation due to (ज्या कारणामुळे तपास करण्यास नकार दिला): or (किंवा)**

(4) **Transferred to P.S. (गुन्हा दुसरीकडे पाठविला असल्यास त्या पोलीस ठाण्याचे नाव):**

District (जिल्हा): **on point of jurisdiction (अधिकाराच्या दृष्टिकोनातून).**

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (प्रथम खबर तक्रारदाराला/खबरीला वाचून दाखविली, बरोबर नोंदविली असल्याचे त्याने मान्य केले आणि तक्रारदाराला/खबरीला खबरीची प्रत मोफत दिली)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

I.I.F.-I (एकीकृत अन्‍ वेषणफॉर्म - १)

Signature of Officer in charge, Police Station (ठाणे प्रभारी अधिका-याची स्वाक्षरी)

Name (नाव): Mansiha Kashid

Rank (हुद्दा): I (Inspector)

No. (क्र.): PI

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (तक्रारदाराची/खबर देणा-याची सही/अंगठा)**

15. **Date and time of dispatch to the court (न्यायालयात पाठवल्याची तारीख व वेळ):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम खबरीतील मुद्दा क्र. ७ ला जोडपत्र)

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen) (संशयीत/आरोपीचे (माहित असलेल्‍ या/पाहिलेल्‍ या) शारीरिक वैशिष्‍ टये, व्‍ यंग आणि इतर तपशील)

S. No. (अ.क्र)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्‍ मतारीख वर्ष)	Build (बांधा)	Height (cms) (उंची(से.मी)	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (ओळखीच्‍ या खुणा)
1	2	3	4	5	6	7
1	महिला	2002		-		**चेचक:** क्र.
2	पुरुष	1988		-		**चेचक:** क्र.
3	पुरुष	1991		-		**चेचक:** क्र.
4	पुरुष	1982		-		**चेचक:** क्र.

I.I.F.-I (एकीकृत अन्वेषणफॉर्म - १)

Deformities / Peculiarities (व्यंग वैशिष्टये)	Teeth (दात)	Hair (केस)	Eye (डोळे)	Habit(s) (सवयी)	Dress Habit (s) (पोषाखाच्य सवयी)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (चे ठिकाण)					Others (इतर)
	Burn Mark (भाजल्याच खुणा)	Leucoderma (कोड)	Mole (तिळ)	Scar (व्रण)	Tattoo (गोदण)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(जर तक्रारदार/माहिती देणा-याने संशयीत/आरोपीविषयी एक किंवा त्यापेक्षा अधिक तपशील दिल्यास फक्त यातील रकान्यांची नोंद घेतली जाईल)